न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 220/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
इन्द्रसिह पुत्र कुम्भसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम डावडी तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– ग्राम पंचायत डाबडी जरिये सरपंच, पंचायत समिति ओसियां जिला जोधपुर 2– तहसीलदार ओसियां

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27–5–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 16/2016 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री युवराज सोनेल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ग्राम पंचायत डाबडी जरिये सरपंच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम डाबडी मे ग्राम पंचायत बेरडो का बास (नवसृजित ग्राम पंचायत डाबडी) के नाम से खसरा नंबर 83 रकबा 219 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. गोचर आई हुई है । उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे ग्राम पंचायत बेरडो का बास के नाम से दर्ज है तथा वर्तमान मे नवसृजित ग्राम पंचायत डाबडी के अधीन है । उक्त भूमि अलग अलग दो सडके दर्ज हो रखी है जिसकी तरमीम व राजस्व रेकर्ड अनुसार अलग अलग खसरा नंबर 83/1 व 83/2 गै.मु.सडक के रूप मे दर्ज हो रखी है । उक्त गै.मु.सडक नक्शे मे तरमीम करने के बाद उक्त भूमि अलग–अलग रूकबो के रूप मे तरमीम हो गई लेकिन सडक से अलग रकबा टूटने के बावजुद भी नक्शे मे अलग से बट्टे नंबर इन्द्राज नही किये गये, जो किये जाने आवश्यक थे । वर्तमान ग्राम पंचायत डाबडी को पंचायत के विकास कार्य बाबत उक्त भूमि की आवश्यकता है लेकिन उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस मे अलग–अलग टुकडे तरमीम हो गये तथा उक्त नक्शे मे अलग बट्टा नंबर के रूप मे इन्द्राज नही हुआ है, जिसको लेकर ग्राम पचायत डाबडी के विकास कार्य मे तरह तरह की समस्याओ का सामना करना पड रहा है इसलिए राजस्व रेकर्ड अनुसार नक्शा ट्रेस मे अलग अलग बट्टा नंबरो का इन्द्राज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–7–2016 को पारित किया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी वर्तमान मे नवसृजित ग्राम पंचायत के लिए भूमि आवंटन की प्रकिया शुरू करने के समय हुई । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलार्थी का खेत खसरा नंबर 72/1 रकबा 178 बीघा 16 बिस्वा जो कि डाले गये बट्टा नंबर 83/7 के सीमा से लगा हुआ है परंतु तरमीम की कार्यवाही मे अपीलांट को सूचित किये बिना मौके पर नापचौक कर दिया तथा केवल नजरी नक्शे के आधार पर ही रकबे को फलित कर बट्टा नंबर अंकित कर दिये जो मौके की वास्तविक स्थिति से विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय नेचुरल जस्टिस के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खेत खसरा नंबर 72/1 की भूमि खसरा नंबर 83/7 मे जा रही है तथा कथन किया कि खसरा नंबर 83/7 का रकबा 5 बीघा मौके पर नही है, इस कारण अपीलार्थी की भूमि उक्त आदेश के कारण मौके पर कम हो रही है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि खसरा नंबर 83 जो कि गोचर भूमि है, जिसकी तरमीम नही की गई थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्वार्थपूर्ति के लिए जल्दबाजी मे तरमीम करवाने एवं बट्टा नंबर अंकित करवाने के लिए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करवा लिया जिससे अपीलांट के खातेदारी के खसरे की भूमि कम हो रही है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नाम करवाये ही बट्टा नंबर अंकित करने की जो कार्यवाही की है जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–5–2016 को निरस्त करने तथा खसरा नंबर 83/7 के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत डाबडी के सरपंच द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ओसियां से मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त

कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम डाबडी के खसरा नंबर 83 जिसका कुल रकबा 219.15 बीघा भूमि नामांतरकरण संख्या 186 एवं 221 के द्वारा खसरा नंबर 83 मे 83/1 रकबा 9.15 बीघा सडक तथा खसरा नंबर 83/2 रकबा 12 बीघा भूमि सडक निकल जाने के कारण खसरा नंबर 83 रकबा 219.15 बीघा भूमि का सलंग्न नक्शा अनुसार विभाजन हो गया तथा नक्शा लट्ठा ट्रेस मे गै.मु.सडक के रूप मे तरमीम की हुई है परंतु विभाजन से मूल खसरा नंबर 83 रकबा 219.15 बीघा के बट्टा नंबर नही दिये गये है । नवीन संलग्न नक्शाअनुसार खसरा नंबर 83 मे खसरा नंबर 83/6 रकबा 11.18 बीघा, खसरा नंबर 83/7 रकबा 5.00 बीघा तथा खसरा नंबर 83/8 रकबा 21.04 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड मे अंकन किया जाना उचित बताया गया । जिस पर तहसीलदार ओसियां ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित 83/6 रकबा 11.18 बीघा, खसरा नंबर 83/7 रकबा 5.00 बीघा तथा खसरा नंबर 83/8 रकबा 21.04 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड मे अंकन की अनुशंषा करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एंव उसमे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–5–2016 का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान अपील यह कथन करते हुए पेश की है कि अपीलार्थी का खेत खसरा नंबर 72/1 रकबा 178 बीघा 16 बिस्वा जो कि डाले गये बट्टा नंबर 83/7 के सीमा से लगा हुआ है परंतु तरमीम की कार्यवाही मे अपीलांट को सूचित किये बिना मौके पर नाप चौक कर दिया तथा अपीलांट का कथन है कि खसरा नंबर 83/7 का रकबा 5 बीघा मौके पर नही है, इस कारण अपीलार्थी की भूमि उक्त आदेश के कारण मौके पर कम हो रही है ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ अपीलांट ने अपने खातेदारी के खसरा नंबर 72/1 की जमाबंदी की नकल तथा लट्ठा नक्शा ट्रेस की छायाप्रति पेश की है । उक्त नक्शा ट्रेस मे अपीलांट के खसरा नंबर 72/1 की तरमीम ही नही है जिससे यह प्रकट नही होता कि अपीलांट का खसरा प्रस्तावित खसरा नंबर 83/7 से लगता हुआ हो तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट प्रभावित हुआ हो ।

इसके अलावा अपीलांट अपने खातेदारी के खसरा नंबर 72/1 की भूमि का सीमांकन कर सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है जिससे यह प्रकट हो कि

अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 72/1 का रकबा रेकर्ड मे दर्ज रकबे से मौके पर कम हुआ हो । केवल अपीलांट के मौखिक कथन से यह प्रमाणित नही होता कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के खातेदारी का रकबा कम हुआ हो ।

ऐसे मे अपीलांट द्वारा अपील मीमो मे उल्लेखित तथ्य अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित नही होने से हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णम मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 28–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।